प्र.सं. 87/2021 मानसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सरे खुर्द, तहसील बड़गांव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 3098 से 3100, 3116 से 3120, 3122 से 3129 कुल किता 16 रकबा 2.3800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। उक्त भूमि का अभी कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 11 मानसिंह आये दिन लड़ाई-झगड़ा करता है तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है। अतः उक्त आराजियात का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.04.2011 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री खुबीलाल सिंघवी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, किसी भी प्रतिवादी का जवाब रेकार्ड पर नहीं है। अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई है। दावा विभाजन का है, किन्तु वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में किस पक्षकार का कितना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा बनता है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णयद व डिक्री अपास्त की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 11.01.2021 को पत्रावली पेश हुई एवं उस दिन शोक सभा होने से पत्रावली में दिनांक 28.01.2021 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 28.01.2021 को पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15.02.2021 नियत की गयी एवं उक्त दिनांक 15.02.2021 को ही प्रतिवादी के जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 75/2020 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.04.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर एवं उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested